राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/145/2018- APCR

सुनवाई तिथि 10.09.2018 का कार्यवृत्त

श्री पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी, राजस्व कानपुर देहात, अपर पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, श्री कुन्ती देवी, प्रार्थिनी सुनवाई में उपस्थित थे।

पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि तत्समय नियुक्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को तत्काल थाना सिकन्दरा से स्थानांतरित कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल कौशलेन्द्र तिवारी को ओ.आर. में दंडित किया जा चुका है एवं होमगार्ड श्री अफसर सिंह के विरूद्ध कार्यवाही जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स कानपुर देहात को कहा जा चुका है।

जिलाधिकारी की रिपोर्ट में सूचित किया है कि संबंधित अपर जिलाधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया है।

आयोग ने पाया कि विभागीय कार्यवाही तो पूर्ण है, किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन कार्यवाही अभी शेष है। क्योंकि इन सभी अधिकारियों द्वारा नियम विरूद्ध एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो सरकारी सेवक है को नियम विरूद्ध रस्सी से बाँधकर गिरफ्तार किया गया था। अत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अतयाचार निवारण अधिनियम के अधीन कार्रवाई कर 15 दिन में सूचित करेंगे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 2016 के अंतर्गत तय राहत धनराशि भी पीड़िता को दी जाएगी व जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि उसको प्रताड़ित न किया जाए।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग